राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 2322/2016/भरतपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–2034/2016/भरतपुर)

मैसर्स राम इण्डस्ट्रीज (ऑयल सेक्शन), भरतपुर. ......प्रार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर,
वृत–प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक ......प्रार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह क्रॉस ऑब्जेक्शन राजस्व की अपील संख्या 2034/2016/भरतपुर के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। राजस्व द्वारा उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर के प्रकरण संख्या 122/सीएसटी/2016–16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी।

2. माननीय राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय एकलपीठ द्वारा राजस्व की उक्त अपील में दिनांक 20.02.2017 को निर्णय पारित किया जाकर राजस्व की अपील अस्वीकार की जा चुकी है, किन्तु सहवन से इस क्रॉस ऑब्जेक्शन का निर्णय उक्त अपील के साथ नहीं हो सका, अतः माननीय एकलपीठ के उक्त निर्णय के आलोक में, जिसमें राजस्व की अपील खारिज की जा चुकी है, यह क्रॉस ऑब्जेक्शन निष्प्रभावी हो जाने से तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

3. उपरोक्तानुसार प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक 20.02.2017 के अनुसरण में अस्वीकार किया जाता है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य